[वाइन सरन और अनिरुद्ध बोस**,** जे**.** जे**.]**

स्वतंत्रता सेनानी-पेंशन योजना-पात्रता-स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980-वैधता के अंतर्गत पेंशन का दावाःप्रत्यर्थी का दावा सं। 1, पहली बार, 27.12.1982 पर बनाया गया था, जबकि स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना वर्ष 1972 में मौजूद थी, जिसे केवल वर्ष 1980 में संशोधित किया गया था-इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादी ने अपना दावा तुरंत दायर किया-उक्त योजना अंतर्गत लाभ के लिए पात्र व्यक्ति को छह महीने से अधिक समय तक भूमिगत रहना चाहिए था-यह समझ में नहीं आता है कि कैसे प्रतिवादी नं। 1 को ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जो केवल कुछ स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों के आधार पर छह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए भूमिगत रहा, जो स्वयं उस अवधि के दौरान जेल में थे जब उन्होंने प्रमाणित किया था कि प्रतिवादी नं।1 भूमिगत रह गया था-यहां तक कि यह मानते हुए कि स्कूल अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रामाणिक है, केवल इसलिए कि प्रतिवादी नहीं।1 एक विशेष अवधि के दौरान स्कूल में उपस्थित नहीं होना, जब वह केवल 12 वर्ष का था, तो उत्तरदाता की संख्या नहीं होगी।1 स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी के कारण भूमिगत रहने के कारण-इसके अलावा, राज्य सरकार की ओर से कोई सिफारिश नहीं की गई थी, लेकिन प्रतिवादी नं।1 केवल राज्य सरकार द्वारा अग्रेषित किया गया था-केवल यह तथ्य कि राज्य सरकार ने राज्य सरकार की कुछ स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्रदान की थी, अपने आप में, प्रतिवादी नं।1 केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत दावा करना, जब तक कि प्रत्यर्थी सं।1 केंद्र सरकार की योजना की शर्तों को पूरा किया, जो वर्तमान मामले में एस. एस. एस. पेंशन योजना, 1980 है-तथ्यों पर, उच्च न्यायालय ने एस. एस. एस. पेंशन योजना, 1980 के अंतर्गत विभिन्न आवश्यकताओं की अनदेखी की, जिन्हें प्रतिवादी नं.1 योजना के लाभों के अनुज्ञात के लिए, और प्रतिवादी नं.1 केवल सहानुभूति के आधार पर, और क्योंकि राज्य सरकार ने ए

/

/

/

/

/

/

638

639

भारत संघ बनाम कृष्णा मोदी और ए. एन. आर.

राज्य सरकार की एक अलग योजना के अंतर्गत लाभ, और प्रत्यर्थी सं।निर्णय 1 निर्णय प्रश्न निर्णय निर्णय यनिर्णय ोनिर्णय जनिर्णय ननिर्णय ानिर्णय निर्णय कनिर्णय ेनिर्णय अंतर्गत निर्णय निर्णय आनिर्णय वनिर्णय शनिर्णय ्निर्णय यनिर्णय कनिर्णय निर्णय उनिर्णय चनिर्णय िनिर्णय तनिर्णय निर्णय पनिर्णय ्निर्णय रनिर्णय मनिर्णय ानिर्णय णनिर्णय ीनिर्णय कनिर्णय रनिर्णय णनिर्णय निर्णय कनिर्णय ेनिर्णय निर्णय बनिर्णय िनिर्णय ननिर्णय ानिर्णय निर्णय एनिर्णय कनिर्णय निर्णय ननिर्णय िनिर्णय शनिर्णय ्निर्णय चनिर्णय िनिर्णय तनिर्णय निर्णय अनिर्णय वनिर्णय धनिर्णय िनिर्णय निर्णय कनिर्णय ेनिर्णय निर्णय लनिर्णय िनिर्णय एनिर्णय निर्णय भनिर्णय ूनिर्णय मनिर्णय िनिर्णय गनिर्णय तनिर्णय निर्णय रनिर्णय हनिर्णय ननिर्णय ानिर्णय -निर्णय उनिर्णय चनिर्णय ्निर्णय चनिर्णय न्यायालय निर्णय निर्णय कनिर्णय ेनिर्णय निर्णय फनिर्णय ैनिर्णय सनिर्णय लनिर्णय ेनिर्णय निर्णय कनिर्णय ोनिर्णय निर्णय दनिर्णय रनिर्णय कनिर्णय िनिर्णय ननिर्णय ानिर्णय रनिर्णय निर्णय कनिर्णय रनिर्णय निर्णय दनिर्णय िनिर्णय यनिर्णय ानिर्णय निर्णय गनिर्णय यनिर्णय ानिर्णय ।निर्णय

भारत संघ बनाम अवतार सिंह (2006) 6 एस. सी. सी. 493:[2006]

/

3 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 666-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

[2006] 3 पूरक।पैरा **14** में निर्दिष्ट एस**.** सी**.** आर**. 666**

सिविल अपीलीय अधिकारिता सिविल अपील सं. 909

/

2022.

2019 के डब्ल्यू. ए. No.1971 में जबलपुर पीठ में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांकित 17.02.2020 के निर्णय और आदेश से।जयंत के. सूद, ए. एस. जी., मेरुसागर सामंत्रे, सुश्री प्रीति रानी, ओम प्रकाश शुक्ला, राघव शर्मा, सुश्री गरिमा प्रसाद, ए. के. शर्मा, बी. वी. बलराम दास, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

/

राजीव कुमार बंसल, गणेश बरोवालिया, गिरीश पटेल, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

/

आदेश

1. अनुमति दी गई।

2. वर्तमान मामला केंद्र सरकार द्वारा 15.08.1981 पर शुरू की गई स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 (संक्षेप में 'SSS पेंशन योजना') के अंतर्गत पेंशन देने से संबंधित है।3. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि एस. एस. एस. पेंशन योजना, 1980 के जवाब में, प्रतिवादी नं. 1 ने केंद्र सरकार के समक्ष 27.12.1982 पर इस आधार पर स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन का दावा करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया कि उन्हें वर्ष 1942 में स्वतंत्रता आंदोलन में आठ महीने के कारावास का सामना करना पड़ा, इस अवधि के लिए भूमिगत होने के रूप में।यह प्रतिवादी नं. का मामला है। 1 कि 21.11.1942 से 20.08.1943 (जिसके दौरान वह स्कूल नहीं गया था) की अवधि से, वह भूमिगत रहा और इसलिए, उक्त SSS पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन का हकदार होगा।चूंकि प्रत्यर्थी का आवेदन सं। 1 पर विचार नहीं किया गया, उन्होंने इसके समक्ष एक रिट याचिका दायर की

/

/

/

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय , जिसका निपटारा अपीलार्थी/भारत संघ को प्रतिवादी सं.1. मामला कई मौकों पर उच्च न्यायालय तक गया और अंततः, 03.02.2009 पर, प्रतिवादी के आवेदन को अपीलार्थी द्वारा खारिज कर दिया गया।

4. उक्त आदेश से व्यथित, प्रत्यर्थी नं। 1 ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसे 14.02.2019 पर अनुज्ञात गई और अपीलार्थी द्वारा पारित दिनांकित 03.02.2009 के आदेश अपास्त करते हुए के बाद, अपीलार्थी को प्रतिवादी संख्या 1 को पेंशन देने का निर्देश दिया गया। 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ।उक्त आदेश को चुनौती देते हुए अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष एक अंतर-न्यायालय अपील दायर की, जिसे 17.02.2020 पर खारिज कर दिया गया।उसी से आहत होकर, विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से यह अपील दायर की गई है।

/

/

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अपर सॉलिसिटर जनरल श्री जयंत के. सूद का निवेदन है कि प्रत्यर्थी नं. 1 का जन्म 05.07.1930 पर हुआ था और वह केवल 12 वर्ष का था जब वह 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भूमिगत होने का दावा करता है।यह तर्क दिया जाता है कि प्रतिवादी एन. ओ. का कोई विशिष्ट प्रमाण नहीं है। 1 उस अवधि के दौरान भूमिगत रहा जो उसके द्वारा दावा किया जा रहा है, इस तथ्य को छोड़कर कि लगभग 40 वर्षों के बाद प्राप्त स्कूल प्रमाण पत्र इंगित करता है कि प्रतिवादी नं। 1 ने 13.7.1942 से 20.11.1942 और 21.08.1943 से 13.09.1947 तक स्कूल में पढ़ाई की थी।लर्नड ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया है कि केवल इसलिए कि प्रतिवादी नहीं। 1 मध्यवर्ती अवधि के दौरान स्कूल में उपस्थित नहीं हुआ, इसका मतलब यह नहीं होगा कि प्रतिवादी नहीं। 1 स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी के कारण भूमिगत रहे।हालाँकि, उन्होंने स्कूल अधिकारियों द्वारा जारी स्कूल प्रमाण पत्र जारी करने पर भी विवाद किया है।गुण-दोष के आधार पर, यह प्रस्तुत किया गया है कि स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना वर्ष 1972 में थी और एस. एस. एस. पेंशन योजना, 1980 कुछ और नहीं बल्कि सभी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 'सम्मान' के प्रतीक के रूप में पात्रता बढ़ाने की सीमा तक उक्त योजना में संशोधन था, जिसमें ऐसी पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र होने के लिए वार्षिक आय की सीमा के संबंध में पिछली योजना के प्रावधान को हटा दिया गया था। इस प्रकार, यह तर्क दिया जाता है कि प्रत्यर्थी द्वारा दायर आवेदन सं।1 बीस साल की देरी के साथ था।

/

/

/

/

6. यह आगे तर्क दिया जाता है कि पात्र होने के लिए, जो आवश्यक था वह यह था कि एक व्यक्ति को छह महीने से अधिक समय तक भूमिगत रहना चाहिए था, बशर्ते वह एक घोषित अपराधी हो; या जिस पर ए

/

641

भारत संघ बनाम कृष्णा मोदी और ए. एन. आर.

गिरफ्तारी/प्रमुख के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई थी; या जिसके लिए निरोध आदेश जारी किया गया था लेकिन पूरा नहीं किया गया था, जो, विद्वान ए. एस. जी. के अनुसार, प्रतिवादी नं.1. उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी की अनुपस्थिति में नहीं। 1 अभिलेख प्रमाणपत्र (एन. ए. आर. सी.) की अनुपलब्धता प्रस्तुत करने के बाद, प्रत्यर्थी सं. 1 पर केवल उन स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर विचार नहीं किया जा सकता था जिन्होंने पांच साल या उससे अधिक समय तक कारावास का सामना किया था।विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने कथित रूप से प्रमाण पत्र जारी किया था, वे स्वयं उस अवधि के दौरान हिरासत में थे जब प्रतिवादी नं। 1 भूमिगत रहने का प्रश्न करता है, और चूंकि प्रमाण पत्र जारी करने वाले व्यक्ति स्वयं जेल में थे, इसलिए वे प्रमाणित नहीं कर सकते थे कि प्रतिवादी नं। 1 ऐसी अवधि के दौरान भूमिगत था।

/

/

7. आगे का तर्क यह है कि आवेदक/प्रतिवादी नं।1 भूमिगत पीड़ा की सटीक अवधि प्रदान करने की आवश्यकता थी, जो विद्वान वकील के अनुसार, प्रतिवादी सं.1. विद्वान ए. एस. जी. द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भी सिफारिश के अभाव में, जो अनिवार्य रूप से आवश्यक थी, प्रतिवादी सं. 1 को सही ढंग से खारिज कर दिया गया था, क्योंकि राज्य सरकार ने केवल प्रतिवादी सं. 1 का आवेदन अग्रेषित किया था। 1 बिना किसी सिफारिश के।

/

/

8. इसके विपरीत, श्री राजीव कुमार बंसल, प्रतिवादी नं. 1 ने तर्क दिया कि विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इस तथ्य का एक स्पष्ट निष्कर्ष दिया है कि एस. एस. एस. पेंशन योजना, 1980 के अनुसार आवश्यकता प्रतिवादी सं. 1 और, इस प्रकार, प्रत्यर्थी सं। 1 को उक्त योजना के अंतर्गत अनुज्ञात गई है।9. यह कहा गया है कि राज्य सरकार की इसी तरह की योजना के अंतर्गत (हालांकि यह रिकॉर्ड में नहीं है) प्रतिवादी नं। 1 स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन प्राप्त कर रहा है और इस प्रकार, कोई कारण नहीं है कि उसे केंद्र सरकार की एसएसएस पेंशन योजना के अंतर्गत समान लाभ नहीं दिए जाएं।इस प्रकार, उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के निर्णयों में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और यह अपील खारिज की जानी चाहिए।

/

/

10. हमने पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

/

642

/

[2022] 1 एस सी आर।

/

11. इस तथ्य से कोई इनकार नहीं है कि प्रत्यर्थी का दावा नहीं है। 1, पहली बार, 27.12.1982 पर बनाया गया था, जबकि स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना वर्ष 1972 में मौजूद थी, जिसे केवल वर्ष 1980 में संशोधित किया गया था।इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थी ने अपना दावा तुरंत दायर किया।उक्त योजना अंतर्गत लाभ के लिए पात्र व्यक्ति को छह महीने से अधिक समय तक भूमिगत रहना चाहिए था, बशर्ते वह एक घोषित अपराधी हो; या जिस पर गिरफ्तारी/सिर के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई थी; या जिसके लिए निरोध आदेश जारी किया गया था लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया था।वर्तमान मामले में, ऐसा कोई आदेश नहीं है जिसके द्वारा प्रतिवादी नं। 1 को घोषित अपराधी घोषित किया गया था।इसके अलावा यह प्रत्यर्थी नं. का दावा नहीं था। 1 कि प्रत्यर्थी सं. की गिरफ्तारी के लिए एक पुरस्कार। 1 की घोषणा कभी नहीं की गई थी, और न ही ऐसा मामला है कि कोई निरोध आदेश जारी किया गया था, लेकिन प्रतिवादी नं.1. इसलिए, यह समझ में नहीं आता है कि उत्तरदाता कैसे नहीं। 1 को ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जो छह महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए भूमिगत रहा, केवल कुछ स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों के आधार पर, जो स्वयं उस अवधि के दौरान जेल में थे जब उन्होंने प्रमाणित किया था कि प्रतिवादी नं। 1 भूमिगत रह गया था।

/

/

/

12. यहां तक कि यह मानते हुए कि स्कूल अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रामाणिक है, केवल इसलिए कि प्रतिवादी नहीं। 1 ने एक विशेष अवधि के दौरान स्कूल में भाग नहीं लिया, जब वह केवल 12 वर्ष का था, तो उत्तरदाता सं। 1 स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी के कारण भूमिगत रहे।इसके अलावा, यदि प्रश्न विधि या पेंशन योजना के लिए एन. ए. आर. सी.

के साथ एक आवेदन की आवश्यकता होती है, तो उसके अभाव में, प्रत्यर्थी का आवेदन सं.1, यदि विचार नहीं किया जाता है, तो दोष नहीं दिया जा सकता है।

/

13. इसके अलावा, इस योजना के लिए राज्य सरकार को न केवल आवेदन अग्रेषित करने की आवश्यकता है, बल्कि पेंशन प्रदान करने के लिए इस तरह के आवेदन की सिफारिश करने की भी आवश्यकता है।वर्तमान मामले में, यह विवादित नहीं है कि राज्य सरकार की ओर से कोई सिफारिश नहीं की गई थी, बल्कि प्रतिवादी सं. 1 केवल राज्य सरकार द्वारा अग्रेषित किया गया था।केवल यह तथ्य कि राज्य सरकार ने राज्य सरकार की कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्रदान की है, अपने आप में प्रतिवादी नं. 1 केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत दावा करना, जब तक कि प्रत्यर्थी सं. 1 केंद्र सरकार की योजना की शर्तों को पूरा करता है, जो वर्तमान मामले में एसएसएस पेंशन योजना, 1980 है।

/

/

/

643

भारत संघ बनाम कृष्णा मोदी और ए. एन. आर.

/

14. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि जिन व्यक्तियों ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, जिसके कारण हमें स्वतंत्रता मिली थी, उन्हें निश्चित रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए और यदि वे पेंशन सहित किसी भी लाभ के हकदार हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से ऐसा लाभ प्रदान किया जाना चाहिए।हालाँकि, ऐसे लाभ केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिए जाने चाहिए जो सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत इसके हकदार हैं।इस न्यायालय ने "भारत संघ बनाम अवतार सिंह" (2006) 6 एस. सी. सी. 493 के मामले में पैराग्राफ नं. उक्त निर्णय में से 8 निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गयाः

/

“8. .....सच्चे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ सम्मान, सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए।लेकिन साथ ही यह भी देखा जा सकता है कि जिन लोगों की स्वतंत्रता संग्राम में कोई भूमिका नहीं थी, उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के मामले में अपनाए जाने वाले उदार दृष्टिकोण से लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जिनमें से अधिकांश सामान्य रूप से सेप्टुआजेनेरियन और ऑक्टोजेनेरियन हैं। "

/

/

15. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जहां एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एस. एस. एस. पेंशन योजना, 1980 के अंतर्गत विभिन्न आवश्यकताओं की अनदेखी की है, जिन्हें प्रतिवादी सं. 1 योजना के लाभों के अनुदान के लिए, और प्रतिवादी सं. को पेंशन के अनुदान की अनुज्ञात है। 1 केवल सहानुभूति के आधार पर, और क्योंकि राज्य सरकार ने राज्य सरकार की एक अलग योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया है, और प्रतिवादी सं। 1 एक निश्चित अवधि के लिए प्रश्न योजना के अंतर्गत आवश्यक उचित प्रमाणीकरण के बिना भूमिगत रहने के कारण, हमारी राय है कि उक्त निर्णय रद्द किए जाने के योग्य हैं।

/

/

16. तदनुसार, इस अपील की अनुज्ञात जाती है और उच्च न्यायालय के दिनांकित 14.02.2019 और 17.02.2020 के निर्णयों को दरकिनार कर दिया जाता है।

17. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

18. न्यायालय से अलग होने से पहले, हम श्री राजीव कुमार बंसल द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए अपनी सराहना दर्ज करते हैं, जो प्रतिवादी नं.1.

/

/

अपील अनुज्ञात ।

/